उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद सं0 – 04/2022

झारखण्ड राज्य बनाम 1. छोटु गंझु (ग्राम बोंगई का जन वितरण प्रणाली का दुकानदार) एवं 2. शशि कुमार गुप्ता (टेम्पु गाडी संख्या JH24 F – 6990 के स्वामी)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
30-04-2022	**आदेश** यह राज्यसात की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के ज्ञापांक 4168/अप0शा0 दिनांक 08.12.2020 एवं जिला आपुर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक 1056/आ0 दिनांक 20.12.2021 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में रजरप्पा थाना काण्ड संख्या – 124/2021 दिनांक 20.12.2021 में जप्त टेम्पु गाडी न0 JH24 F – 6990 एवं जप्त 04 (चार) क्विन्टल गेहुँ पर प्रारम्भ की गई। लोक अभियोजक, रामगढ़ से उक्त काण्ड के संदर्भ में विधि मंतव्य प्राप्त किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को गेहूँ नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ होने के कारण जप्त गेहूँ को सरकारी दर पर जन वितरण प्रणाली के दुकान के माध्यम से बिक्री कराकर राशि को कोषागार में जमाकर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। काण्ड के अभियुक्त छोटु गंझु (ग्राम बोंगई का जन वितरण प्रणाली का दुकानदार) एवं 2. शशि कुमार गुप्ता (टेम्पु गाडी संख्या JH24 F – 6990 के स्वामी) को कारण पृच्छा निर्गत किया गया कि क्यों नही जप्त वाहन (टेम्पु) एवं गेहूँ (04 क्विन्टल) को राज्यसात किया जाय। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदन एवं कागजातों का अवलोकन किया ।	

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वाहन (टेम्पु) एवं गेहूँ (04 क्विन्टल) जिसे जप्त किया गया है, जो विधि संगत नही है। इनका आगे कहना है कि ग्रामीणों द्वारा टेम्पु को पकडकर पुलिस के हवाले किया गया है। इनके द्वारा गांवो से गेहूँ खरीदकर बाजार समिति बिकी हेतु ले जाया जा रहा था। आपसी व्यक्तिगत मनमुटाव के कारण ग्रामीणों द्वारा इनका वाहन एवं उसपर लदा 8 प्लास्टिक बोरे में प्रत्येक बोरा में 50 किलो गेहूँ कुल 400 किलो गेहूँ को जप्त कराया गया है। जप्त गेहू का सेम्पल जांच भी नही कराया गया है। अन्त में इनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को समर्थन करते हुए जप्त गेहूँ का सरकारी मूल्य अदा करने का आदेश देते हुए जप्त टेम्पु को राज्यसात की कार्रवाई नही करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि प्रसंगाधीन काण्ड के वादी राजशेखर कुमार, पणन पदाधिकारी, दुलमी के लिखित आवेदन के आधार पर काण्ड दर्ज किया गया है। थाना काण्ड के अभियुक्त शशि कुमार गुप्ता चार क्विंटल गेहूँ आठ प्लास्टिक के पाकेट में श्री छठु गंझु, बोंगई के डीलर से 1500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया है। गेहूँ लाने के कम में ग्रामीणों द्वारा पकड लिया गया जिसे थाना द्वारा जप्त कर लिया गया। इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा –7 के अन्तर्गत राज्यसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा, अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदन एवं कागजातों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि काण्ड के अभियुक्त छोटु गंझु (ग्राम बोंगई का जन वितरण प्रणाली का दुकानदार) से 1500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ खरीदकर अभियुक्त शशि कुमार गुप्ता (टेम्पु गाडी संख्या JH24 F – 6990 के स्वामी) द्वारा चार क्विंटल गेहूँ आठ प्लास्टिक के पाकेट में कालाबाजारी हेतु अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था।

8l

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा एवं विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा दिये गये मंतव्य से सहमत होते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा – 7 के अन्तर्गत जप्त टेम्पु गाडी संख्या JH24 F – 6990 एवं गेहूँ (04 क्विन्टल) को **राज्यसात** किया जाता है। जिला आपुर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ काण्ड के अभियुक्त छोटु गंझु (ग्राम बोंगई का जन वितरण प्रणाली का दुकानदार) के विरूद्ध विधिसम्मत् आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को अग्रेतर–आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे। इसी आदेश एवं मंतव्य के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
30.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
30.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:09:39 +05:30
Location: 192.168.0.4